पत्र संख्या-वैट-इनपुट टैक्स क्रेडिट / 2008-09 / 755/0809074 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
लखनऊ ::दिनांक::अक्टूबर 22, 2008

समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर।

विषय :- **वैट रैण्डम स्क्रूटनी योजना।**

जैसा कि आप अवगत है, प्रान्त में दिनांक 1.1.08 से वैट व्यवस्था लागू की गयी है। वैट अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किये जाने की व्यवस्था है। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्माताओं द्वारा कच्चे माल की खरीद पर दिये गये कर के रूप में तथा व्यापारी द्वारा अपनी खरीद पर पूर्व में दिये गये कर के रूप में क्लेम किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल ऐसी खरीद पर ही दिये गये कर के सम्बन्ध में क्लेम किया जा सकता है जो प्रान्त में की गयी हो और उस पर कर अदा किया गया हो तथा इस खरीद पर दिये गये कर का स्पष्ट उल्लेख विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी किये गये टैक्स इनवायस में हो।

व्यापारी द्वारा क्लेम किये जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट का समस्त मामलों में सत्यापन नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि मासिक / त्रैमासिक रूपपत्रों में व्यापारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि क्लेम की जा रही है, वह सही हैं अथवा नहीं।

अत: इस आशय का निर्णय लिया गया है कि व्यापारी द्वारा मासिक / त्रैमासिक रूप पत्रों में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है उसकी नियमित रूप से जॉच की जाये। इस जॉच के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि व्यापारी को अपने रिटर्न दाखिल करने के लिए जो कम्प्यूटर जनित रसीद प्राप्त हुई है उस रसीद का कोई क्रमांक आधार बनाया जाये और उस क्रमांक के व्यापारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जॉच की जाये। जैसे-जिस व्यापारी को जारी की गयी कम्प्यूटर जनित रसीद का अन्तिम क्रमांक-7 हो ऐसे सभी व्यापारी द्वारा दाखिल किये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की जॉच की जाय। रसीद का यह अंक कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किया जायेगा और इस क्रमांक पर आने वाले व्यापारी द्वारा दिखायी जा रही खरीद / बिक्री के सभी संव्यवहारों की सघन जॉच तथा कार्यवाही सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जायेगी। माह-अगस्त, 08 का जो रूपपत्र सितम्बर, 08 माह में प्राप्त हुआ है उसके सम्बन्ध में यह अंक-7 रैण्डम आधार पर कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा निश्चित किया जाता है। इस अन्तिम अंक क्रमांक की रसीदों के रूपपत्रों की उपरोक्तानुसार जॉच एवं कार्यवाही दिनांक 15.11.08 तक पूर्ण कर ली जाय।

इस कार्यवाही को पूरा कराने का दायित्व जोन / सम्भाग के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा तथा शिथिलता पाये जाने पर ऐसे कर निर्धारिण अधिकारियों एवं शिथिल नियन्त्रण के लिए ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं जोन के प्रभारी एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर का भी दायित्व निर्धारित किया जायगा।

27/10/08

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।